राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी–3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

क्रमांकः–एफ.1(2)(03222)स्था./सान्याअवि/2025/ई–03222 जयपुर, दिनांकः–यथा ई–हस्ताक्षरित

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित छात्रावास अधीक्षक ग्रेड–II सीधी भर्ती–2024 में सफल घोषित होने एवं बोर्ड द्वारा राजकाज रे. नं. 23274849 दिनांक 08.07.2026 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4677/2025 में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 की पालना में गैर अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य श्रेणी में 01 अभ्यर्थी का माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2026 की पालना में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड–II के पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति की अनुशंषा किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय–समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी को छात्रावास अधीक्षक ग्रेड–II के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 02 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार पे–मैट्रिक्स लेवल–8 में देय स्थिर पारिश्रमिक रुपये 18500/–मासिक पर अस्थाई रूप (प्रोविजनल) से नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

NTSP

SLNO	RANK	ROLLNO	NAME	FNAME	DOB	HOME DISTRICT	GENDER	CAT	SEL_CAT	POSTING PLACE NAME
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1.	119	326933	MOHAMMAD BILAL KHAN	MOHAMMAD RAFIK KHAN	10-10-1995	JHUNJHUNU	MALE	OBC	GEN	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सांडवा, जिला चूरू

उक्त नियुक्तियाँ निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैः–

1. उक्त नियुक्तियाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4296/2021 सुरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4131/2020 ज्योति शर्मा बनाम राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 11806/2021 शिप्रा चौधरी बनाम राज्य एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 7044/2020 किशन लाल सहारण एवं अन्य बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 8380/2015 राजेश शर्मा एवं अन्य बनाम राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13582/2021 नटवर सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13976/2021 कुलवन्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एवं राज0 राज्य एवं संबंधित प्रतियोगी परीक्षा–2024 से संबंधित दायर समस्त रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं (सील्ड कवर रखने के आदेश) एवं समस्त वादकरणों के अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।
2. उक्त नियुक्तियां सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/आदेशों, मूल दस्तावेजों की जाँच एवं शर्तों के अध्यधीन रहेगी।
3. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1 (2) एफ डी/रूल्स/2006 एवं एफ 1(12) (6) एफडी/नियम/05 दिनाक 13.03.06 के अनुसार परिवीक्षाधीन अवधि दो वर्ष होगी। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15 (1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुक्रम में इन्हें परिवीक्षाधीन अवधि में 18500/– रूपये (अक्षरे रूपये अठारह हजार पाँच सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह स्थिर वेतन दिया जायेगा। इनके द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने के उपरान्त वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना सं. एफ15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, दिनांक 09.12.2017 एवं दिनांक 11.12.2024 इनका वेतन छात्रावास अधीक्षक श्रेणी–II के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल 8 मे नियमानुसार वेतन एव अन्य भत्ते देय होगें।
4. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष छात्रावास अधीक्षक ग्रेड–II होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
5. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10. 2017 एवं दिनांक 09.12.2017 एवं दिनांक 11.12.2024 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस०एल०पी० 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत् पूर्व विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
6. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–1 में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।
7. परिवीक्षा काल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे, अर्थात् परिवीक्षा काल को वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिना जावेगा।
8. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

RajKaj Ref No.:
23763345

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-03
16:02:46 IST

v-1.0

9. अभ्यर्थी की नियुक्ति पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनाक 20.06.2001 द्वारा जारी संतान संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
10. विवाहित अभ्यर्थी कार्य ग्रहण के समय विवाह पंजीयन/बच्चों के जन्म प्रमाण–पत्र के शपथ पत्र नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर पदस्थापित स्थान पर कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी की पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। कार्य ग्रहण करने से पूर्व संबधित अभ्यर्थी को 10 रूपये के नॉन–ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र पदस्थापित स्थान पर कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा।
12. उक्त अभ्यर्थी ने पूर्व में स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस विभाग से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र एवं पूर्व–वृत्त सत्यापन प्रस्तुत नहीं किये हैं, नियुक्ति के 30 दिवस में अभ्यर्थी अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस अधीक्षक से चरित्र प्रमाण–पत्र एवं पूर्ववृत सत्यापन पत्र प्राप्त कर पदस्थापित स्थान पर कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगें।
13. उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 11 में अंकित जिले का अधीनस्थ कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चूरू में अपनी उपस्थिति दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश जारी होने के 30 कार्य दिवस में यदि उपरोक्त अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते है और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ.1(2)(03222)स्था./सान्याअवि/2025/ई–03222 जयपुर, दिनांकः–यथा ई–हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क–4/2), शासन सचिवालय जयपुर।
4. आयुक्त, बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन विभाग, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रावास/देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थी से आवश्यक वांछित दस्तावेज प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद ही उसे कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करवाते हुए संबंधित की कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
12. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
23763345

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-03
16:02:46 IST

v-1.0